

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/विविध- 01-191/2025

पटना, दिनांक :- / / 2026

डॉ० अनुष्का कुमारी, चिकित्सा पदधिकारी (बॉण्ड-BHS), सदर अस्पताल, रोहतास, (सासाराम) सम्प्रति सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर-BHS), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में दिनांक-11.08.2025 से 06.02.2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों का प्रथम सतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-
संयुक्त सचिव।

सं० सं०-17/विविध- 01-191/2025- 1172/17) पटना, दिनांक :- 12/09/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

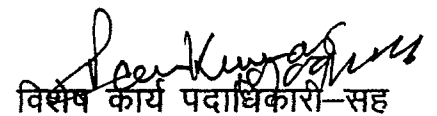
प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार दगे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सिविल सर्जन, रोहतास, (सासाराम)/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, रोहतास, (सासाराम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्राचार्य/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

डॉ० अनुष्का कुमारी, चिकित्सा पदधिकारी (बॉण्ड-BHS), सदर अस्पताल, रोहतास, (सासाराम) सम्प्रति सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर-BHS), स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी-सह

—संयुक्त सचिव।